संख्याः– 120 / I(2)/2021–04(53)/2019

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 19 जनवरी, 2021**

विषय : वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सैक्टर नाबार्ड वित्त पोषित निर्माणाधीन योजनाओं (RIDF-XXIV, XXV नलकूप निर्माण) (RIDF-XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV नहर निर्माण) (RIDF-XXII, XXIII, XXIV, XXVलिफ्ट नहर निर्माण) एवं (RIDF-XX,XXI,XXII, XXIII, XXIV,XXV बाढ़ सुरक्षा कार्य) के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0–2343/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य), दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर नाबार्ड वित्त पोषित निर्माणाधीन योजनाओं (RIDF-XXIV, XXV नलकूप निर्माण) (RIDF-XX, XXII, XXIII, XXIV,XXV नहर निर्माण) (RIDF-XXII,XXIII,XXIV,XXV लिफ्ट नहर निर्माण) एवं (RIDF-XX,XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV बाढ़ सुरक्षा कार्य) के सापेक्ष स्वीकृत बजट प्राविधान में से क्रमशः रू0 330.00 लाख, रू0 3465.32 लाख, रू0 69.27 लाख एवं रू0 1531.16 लाख अर्थात कुल रू0 5395.75 लाख **(रू0 तिरपन करोड़ पिच्चानवे लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि **परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार** उक्त योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में निर्गत मूल/विभिन्न शासनादेशों में उल्लिखित/निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु एकमुश्त आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आरहण एवं व्यय में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–292/9(150)-2019-XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में निर्धारित शर्तों के साथ–2 बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6. प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

9. विभाग द्वारा नाबार्ड के अन्तर्गत समस्त Guide lines का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है, वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हों।
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत क्रमशः **लेखाशीर्षक–4700**–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–04–नलकूपों का निर्माण–001 निदेशन तथा प्रशासन–98 01–आर0आई0डी0एफ0 योजना 4700040519801 से स्थानान्तरित)–53 वृहद् निर्माण, **लेखाशीर्षक–4700**–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें–001– निदेशन तथा प्रशासन–98 01–नहरों का निर्माण (4700060519801 से स्थानान्तरित)– 53 वृहद् निर्माण, **लेखाशीर्षक 4700**–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–07–उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्वार–001–निदेशन तथा प्रशासन–98 01–नहरों का निर्माण (4700070519801 से स्थानान्तरित)–53 वृहद् निर्माण एवं **लेखाशीर्षक–4711**–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103 सिविल निर्माण कार्य–98 01–बाढ़ नियंत्रण कार्य (4711010519801 से स्थानान्तरित)– 53 वृहद् निर्माण कार्य मद नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के पत्र सं0–909/07(150)/XXVII(1)/2020, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः अलॉटमेंट आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः– 120 (1)/II(2)/2021–04(53)/2019,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
6. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, देहादून।
8. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

क्रमश.....3